बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

संकल्प

संख्या–वन्यप्राणी–02/2002 245(ई) /प0व0, पटना–15, दिनांक– 08/05/2013

विषय : जंगली जानवरो द्वारा जान–माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितो को सहाय्य राशि के भुगतान के संबंध में।

वनों में एवं वनों के आसपास रहने वाले लोगों तथा पशुधन को जंगली जानवरों द्वारा आकस्मिक रूप से पहुँचाये जाने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक–FNO-14-02/2011 WL-I (pt) दिनांक–21.11.2012 के द्वारा स्वीकृत अद्यतन मापदण्ड के आलोक में पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या–वन्यप्राणी–02/2002–237 (ई0), दिनांक–31.03.96 को संशोधित करते हुए राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि जंगली जानवरों द्वारा आम लोगों के जानमाल (पशुधन सहित सम्पत्ति) को पहुँचाई गई विभिन्न किस्मों की क्षति की स्थिति में निम्न प्रकार से सहाय्य राशि का भुगतान किया जायेगा।

I.	मनुष्य की मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता पर		2,00,000/– (दो लाख रूपये मात्र)
II.	मनुष्य की गहरी चोट पर		60,000/– (साठ हजार रूपये मात्र)
III.	मनुष्य को हल्की चोट या घायल होने पर		ईलाज में वास्तविक व्यय अधिकतम 10,000/–
IV.	मकान बर्बादी		
	(क)	पक्का मकान (पूर्ण रूप से नष्ट)	40,000/– (चालीस हजार रूपये मात्र)
	(ख)	मिट्टी की दीवार पर खपड़ा या कोरेगेटेड शीट की छत वाली मकान (पूर्ण रूप से नष्ट)	20,000/– (बीस हजार रूपये मात्र)
	(ग)	पक्का मकान (गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त)	20,000/– (बीस हजार रूपये मात्र)
	(घ)	कच्चा मकान (गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त)	10,000/– (दस हजार रूपये मात्र)
	(ड़)	साधारण रूप से क्षतिग्रस्त मकान	5,000/– (पाँच हजार रूपये मात्र)
V.	भैंस, गाय, बैल की मृत्यु होने पर		10,000/– (दस हजार रूपये मात्र)
VI.	भेड़, बकरा की मृत्यु होने पर		2,000/– (दो हजार रूपये मात्र)
VII.	बकरी की मृत्यु होने पर		3,000/– (तीन हजार रूपये मात्र)
VIII.	फसल नष्ट होने पर		20,000/– (बीस हजार रूपये मात्र) प्रति हेक्टेयर।

2. मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया एवं अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर के लिये पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. नई मुआवजा की दरें संकल्प निर्गत होने की तिथि एवं उसके बाद के क्षति पर लागू होगी।

4. मुआवजे को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के अधीन बनाये गए विनियमों के अंतर्गत विनियमित किया जायेगा।

5. मुआवजे का भुगतान मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या–19 उप शीर्ष–0001 निदेशन और प्रशासन, विपत्र कोड–एन0–2406010010001 के विषय शीर्ष–3302 मुआवजा से किया जायेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

8/5/13

(के0के0अग्रवाल)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक : वन्यप्राणी–02/2002 245 (ई.) **/प0व0, पटना–15, दिनांक :** 08/05/2013

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं हक) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/5/13

(के0के0अग्रवाल)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक : वन्यप्राणी–02/2002 245 (ई.) **/प0व0, पटना–15, दिनांक :** 08/05/2013

प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्यपाल के सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/5/13

(के0के0अग्रवाल)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक : वन्यप्राणी–02/2002 245 (ई.) **/प0व0, पटना–15, दिनांक :** 08/05/2013

प्रतिलिपि : अवर सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/5/13

(के0के0अग्रवाल)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक : वन्यप्राणी–02/2002 245 (ई.) **/प0व0, पटना–15, दिनांक :** 08/05/2013

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 500 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाये।

8/5/13

(के0के0अग्रवाल)
सरकार के विशेष सचिव।